न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

हेमलाल मंडल वगैरह –बनाम्– राजकुमार मंडल वगैरह

वाद संख्या– 01 / 2024

धारा– 144 द0प्र0सं0

आदेश की क्र0सं0 और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
5/3/24	–:आदेशः– आदेशार्थ अभिलेख उपस्थापित। आवेदक हेमलाल मंडल, पिता– स्व0 बढ़न मंडल वगैरह, साकिम– सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरीडीह के आवेदन पर थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा– बड़की सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरीडीह, खाता नं0– 121, प्लॉट नं0– 2013, रकवा– 32 डिसमील जमीन चौहद्दी– उतर बिनपनी बसु का जमीन, दक्षिण प्लॉट नं0 2080, पू0 प्लॉट नं0 2076 एवं 2077, पश्चिम सार्वजनिक रास्ता पर नोटिस निर्गत कर दिनांक– 06.01.2024 को द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत कर उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा उस पर कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष उपस्थित हुए तथा कारण पृच्छा प्रस्तुत किए। प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त भूमि पर उन्हें निबंधित सामान्य अधिकार पत्र द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में एक निबंधित Power of Attorney (निबंधित सं0 08973 / 23, दिनांक– 17.08.203) की छायाप्रति, एक निबंधित विक्रय पत्र सं0– 1392, दिनांक– 24.04.1946, एक लगान रसीद की छायाप्रति, एक जमीनदारी रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। उक्त कागजात के आधार पर प्रथम पक्ष उक्त भूमि पर अपना दावा करते है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि उन्हें उक्त जमीन का Power Of Attorney (1) वासुदेव रविदास, पिता– स्व0 सोहन रविदास, (2) धानेश्वर रविदास, (3) किसुन रविदास दोनो के पिता– जेहल रविदास से प्राप्त था। उक्त जमीन वासूदेव रविदास वगैरह के पूर्वज भोला चमार के नाम से खतियानी हासिल है। उक्त भूमि की जमाबंदी सरिया अंचल कार्यालय के पंजी– II के भाग सं0– 3, पृष्ठ सं0– 93 पर कायम है तथा लगान रसीद 2016–17 तक निर्गत है। उक्त Power Of Attorney के आधार पर द्वितीय पक्ष के राजकुमार मंडल ने अपनी पत्नी श्रीमती वीणा देवी के नाम से 4.82 डिसमील जमीन निबंधित केवाला से बिक्री किया तथा वीणा देवी ने सरिया अंचल में उक्त भूमि का दाखिल–खारिज कराते हुए लगान रसीद निर्गत कराया। आगे द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त जमाबंदी सरिया अंचल के पंजी– II के भाग सं0– 28, पृष्ठ सं0– 48 में कायम है तथा लगान रसीद अद्यत्तन 2023–24 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि शेष 32 डिसमील भूमि उन्हें श्री किशुन रविदास, धानेश्वर रविदास दोनों के पिता– स्व0 जेहल रविदास तथा श्री वासुदेव रविदास, पिता– स्व0 सोहन रविदास के द्वारा 08.02.2013 को बिक्रीनामा एग्रीमेन्ट द्वारा प्राप्त हुआ तथा उसी बिक्रीनामा एग्रीमेन्ट के आधार पर द्वितीय पक्ष को दिनांक– 23.11.2023 को	

मो0 रेशमी, पति– स्व0 जेहल रविदास, किशुन रविदास, पिता– स्व0 जेहल रविदास , धानेश्वर रविदास, पिता– स्व0 जेहल रविदास द्वारा सदामदी एग्रीमेन्ट प्राप्त हुआ।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में एक लगान रसीद, पंजी– II की छायाप्रति, ऑफलाईन पंजी–II की छायाप्रति वीणा देवी के नाम निर्गत लगान रसीद की छायाप्रति, एक निबंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति, एक **Power Of Attorney** की छायाप्रति एक एग्रीमेन्ट सदामदी मय बिक्रीनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अध्ययन करने, दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने, थाना प्रभारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि यह मामला उभय पक्षों के मध्य हक–हकीयत से संबंधित हैं। थाना प्रभारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर तीन तरफ से प्रथम पक्ष के द्वारा चहारदिवारी भी कराई गई है। चुँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत हक–हकीयत का विवेचन नही हो सकता है।

अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नही है। विवाद के निपटारे के लिए उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

05/3/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

05/3/24

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

C.C. Issued

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 13:12:56 +05:30
Location: 192.168.1.3